

--:निर्णय:-

दिनांक :- 17.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वां अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम चक 39 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 62/45 में 14.674 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी के नाम 2327/14674 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1135/7337 हिस्सा व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की माता सुखदेव कौर का 1223/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय गुरुमुख सिंह के नाम 2447/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 95/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 84/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 633/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 का 2/29 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 का 95/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 13 का 633/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 14 का 316/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 15 का 5/58 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 16 का 372/7337 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 17 का 2447/29348 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 18 का 175/7337 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, तफसील आराजी निम्न प्रकार है - चक नम्बर 39 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 62/45 पत्थर नम्बर 80/314 (42) किला नम्बर 1, 10, 11/253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 81/306 (11) किला नम्बर 16/1/228, 16/2/025, 17, 21, 22, 23, 24/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/228, 25/2/025, पत्थर नम्बर 81/307 (12) किला नम्बर 1/253, पत्थर नम्बर 81/308 (19) किला नम्बर 4/253, 5/1/228, 5/2/025, 6/1/228, 6/2/025, 7 ता 14/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/228, 15/2/025, 16/1/228, 16/2/025, 17 ता 24/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/228, 25/2/025, पत्थर नम्बर 81/309 किला नम्बर 1 ता 4/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 5/1/228, 5/2/025, 6/1/228, 6/2/025, 7 ता 14/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/228, 15/2/025, 16/1/228, 16/2/025, 17 ता 24/253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/228, 25/2/025 हैक्टेयर कुल तादादी 14.674 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता कमाण्ड।

प्रार्थना पत्र चरण संख्या 2 में वर्णित 14.674 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 2327/14674 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का 1135/7337 हिस्सा दर्ज है व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की माता सुखदेव कौर के नाम से 1223/7337 हिस्सा दर्ज कागजात माल पट्टवार है। प्रार्थी की माता सुखदेव कौर का देहान्त हो चुका है। सुखदेव कौर को उक्त

भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। सुखदेव कौर के देहान्त बाद उनके नाम की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 हकदार है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सगी बहिन है जिन्होंने अपने हक व हिस्सा की भूमि का त्याग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है व अप्रार्थी संख्या 9 कर्म सिंह, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के जिन्होंने भी अपने हिस्सा की भूमि 84/7337 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के चाचा है कर दिया है एवं अप्रार्थी संख्या 18 गुरमेल कौर जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में त्याग ने भी रजिस्टर्ड त्याग पत्र दिनांक 15.07.2022 के द्वारा अपने 175/7337 हिस्सा का हक त्याग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है।

यह है कि अब प्रार्थी को वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में 2.327 हैक्टेयर स्वयं के नाम व 1.223 हैक्टेयर माता सुखदेव कौर से व 0.175 हैक्टेयर भुआ हरमेल कौर से व .084 हैक्टेयर चाचा कर्म सिंह से प्राप्त हुई है, इस प्रकार प्रार्थी कुल 3.809 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है व अप्रार्थी संख्या 1, 2.027 हैक्टेयर स्वयं के नाम व 1.223 हैक्टेयर माता सुखदेव कौर से व 0.175 हैक्टेयर भुआ हरमेल कौर से व 0.084 हैक्टेयर चाचा कर्म सिंह से प्राप्त हुई है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 कुल 3.752 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार अपनी माता, भुआ व चाचा के नाम की भूमि पर काबिज चले आ रहे है परन्तु अब तक स्वर्गीय सुखदेव कौर, हरमेल कौर व कर्म सिंह के नाम से दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है व प्रार्थी सरकारी लाभो से वंचित हो रहे है।

अतः प्रार्थी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि स्वर्गीय सुखदेव कौर, हरमेल सिंह व कर्म सिंह के नाम दर्ज भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थी 3.809 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1, 3.752 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी 3.809 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1, 3.752 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से 7.561 हैक्टेयर भूमि काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4, 9 व 18 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के साथ पूर्व में ही घराघरु बंटवारा कर रखा है व मुताबिक बंटवारा प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का मुताबिक घराघरु बंटवारा खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में निम्नलिखित भूमि है :-

1. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 गुरलाल सिंह व जसविन्द्र सिंह - चक 39 एसएसडब्ल्यू, खाता संख्या 62/45, पत्थर नम्बर 80/314 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1/063, 10/127 कुल .190 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/306 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 21/169, 22/169, 23/169 पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण की तरफ, 24/253, 25/1/228, 25/2/025 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता तादादी 1.013 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/307 मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 1/253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/308 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 4/253, 5/1/228, 5/2/025 गैर मुमकिन रास्ता, 6/1/228, 6/2/025 गैर मुमकिन रास्ता, 7 ता 14, 15/1/228, 15/2/025 गैर मुमकिन रास्ता, 16/1/113, 17/1/113, 18/113, 19/113, 20/113 पूर्व से पश्चिम दक्षिण की तरफ 21 ता 24

7
सालम, 25/11/228 हैक्टेयर कुल 4.840 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/309 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1 ता 4 सालम, 5/11/228, 5/21/025 गैर मुमकिन रास्ता कुल 1.265 हैक्टेयर कुल तादादी 7.561 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 9 ता 17 की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें से सहकाशतकार संयुक्त खाता की भूमि का बेचान दीगर (अजनबी) व्यक्तियों को विक्रय करते रहते है जिससे सहकाशतकारो की भूमि का विभाजन करने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक हिस्सा व कब्जा काशत जो वाद पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज है, पर काबिज होकर काशत कर रहे है व अपने हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि जो घराघरु बंटवारा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी, उसे कराहा आदि लगाकर समतल व उपजाउ बनाया है परन्तु अन्य सह काशतकार लालच से वशीभूत होकर अच्छी अच्छी किस्म की भूमि दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारु रहते है जिससे सह काशतकारो को अनावश्यक परेशानी हो रही है एवं आये दिन कब्जा को लेकर विवाद रहता है परन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज संयुक्त हिस्सा का फायदा उठाकर भूमि अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने एवं प्रार्थी के कब्जा काशत में नाजायज दखलदांजी करने पर उतारु है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो वाद बेसुद हो जायेगा तथा प्रार्थी व सह काशतकारान को अपूर्णिय क्षति होगी व आयंदा मुकदमें बाजी बढेगी। इसलिए प्रार्थी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि कोई भी काशतकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे व प्रार्थी के कब्जा काशत व घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि के कब्जा में नाजायज दखलदांजी ना करे एवं कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि चक 39 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 62/45 की 14.674 हैक्टेयर भूमि को कोई भी सहकाशतकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे व प्रार्थी के कब्जा काशत व घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि के कब्जा में नाजायज दखलांदाजी ना करे एवं कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे, आदि आदि तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का अनुतोष याचित किया गया।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह उपस्थित व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज तथ्य मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 होने के कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा हक त्याग दर्शाते हुए सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की

7

सालम, 25/1/228 हक्टेयर कुल 4.840 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/309 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1 ता 4 सालम, 5/1/228, 5/2/025 गैर मुमकिन रास्ता कुल 1.265 हैक्टेयर कुल तादादी 7.561 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 9 ता 17 की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें से सहकाशतकार संयुक्त खाता की भूमि का बेचान दीगर (अजनबी) व्यक्तियों को विक्रय करते रहते है जिससे सहकाशतकारों की भूमि का विभाजन करने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक हिस्सा व कब्जा काशत जो वाद पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज है, पर काबिज होकर काशत कर रहे है व अपने हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि जो घराघरु बंटवारा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी, उसे कराहा आदि लगाकर समतल व उपजाउ बनाया है परन्तु अन्य सह काशतकार लालच से वशीभूत होकर अच्छी अच्छी किस्म की भूमि दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारु रहते है जिससे सह काशतकारों को अनावश्यक परेशानी हो रही है एवं आये दिन कब्जा को लेकर विवाद रहता है परन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज संयुक्त हिस्सा का फायदा उठाकर भूमि अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने एवं प्रार्थी के कब्जा काशत में नाजायज दखलदांजी करने पर उतारु है।

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो वाद बेसुद हो जायेगा तथा प्रार्थी व सह काशतकारान को अपूर्णिय क्षति होगी व आयंदा मुकदमें बाजी बढेगी। इसलिए प्रार्थी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि कोई भी काशतकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे व प्रार्थी के कब्जा काशत व घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि के कब्जा में नाजायज दखलदांजी ना करे एवं कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि चक 39 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 62/45 की 14.674 हैक्टेयर भूमि को कोई भी सहकाशतकार बिना विभाजन करवाये दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय करने या अथवा अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से ममनू व बाज रहे व प्रार्थी के कब्जा काशत व घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि के कब्जा में नाजायज दखलांदाजी ना करे एवं कोई भी अजनबी क्रेता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि में कब्जा प्राप्त ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति विभाजन होने तक बनाये रखे, आदि आदि तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का अनुतोष याचित किया गया।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह उपस्थित व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज तथ्य मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 होने के कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा हक त्याग दर्शाते हुए सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की

घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है। प्रथम दृष्टया मामला हेतु प्रार्थी को हक त्याग अपने पक्ष में साबित करना आवश्यक है तथा प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम अप्रार्थीगण से सम्बन्धित नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है इसलिए हक त्याग आदि के तथ्य हम अप्रार्थीगण से सम्बन्धित नहीं है।

यह है कि हम अप्रार्थीगण चक 39 एसएसडब्ल्यू, खाता संख्या 62/45 के सह खातेदार है। हम अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व अभिलेख में आराजी दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार है जो अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

यह है कि प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा ना ही हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष प्रार्थी द्वारा याचित किया गया है। मात्र सह खातेदार होने के कारण हम अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने तथा वित्तीय संस्था से वित्तीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, यदि स्थगन आदेश प्रभावी रहता है तो हम अप्रार्थीगण अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने तथा वित्तीय संस्था से वित्तीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व आवश्यकता अनुसार रहन, बैय आदि की सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे, जिस कारण हम अप्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैं:-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी में वादी को अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा आराजी में घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है, शेष अप्रार्थीगण को मात्र सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष याचित नहीं किया गया है। खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी के अलावा अन्य सह खातेदारान/अप्रार्थीगण 5 ता 8, 10 ता 17 को बिना किसी औचित्य के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध निर्णित किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अभिलिखित काशतकार है तथा अभिलिखित काशतकार की हैसियत से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थी द्वारा अपना वाद पत्र सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है तथा अगर अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, अगर अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के विरुद्ध जारी किया जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा अगर सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी में स्थगन अप्रभावी होने के कारण किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो वादी के हित प्रभावित हो सकते हैं, इस कारण सुविधा के संतुलन का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते हैं। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण सं. 5 ता 8, 10 ता 17 को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी में स्थगन अप्रभावी होने की स्थिति में प्रार्थी को क्षति हो सकती है तथा शेष सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 को अगर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी में स्थगन प्रभावी रहे तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन को अप्रार्थी संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है और उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थी

संख्या 5 ता 8, 10 ता 17 के पक्ष में होना प्रतीत होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विपक्ष में निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

--:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश दिनांक 28.08.2023 को संसोधित करते हुए चक नम्बर 39 एसएसडब्ल्यू, खाता संख्या 62/45 में दर्ज 14.674 हैक्टेयर में मात्र खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा की हद तक ता-फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। शेष खाता तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2023 तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।


(मांगी बहल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ